कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 29.09.2021 द्वारा सारिका सिंघल, प्रधानाचार्य, श्री एम.आर. वोहरा रावाउमावि वाटिका, सांगानेर जिला जयपुर का स्थानान्तरण प्रशासनिक आवश्यकता में राउमावि लांबा हरिसिंह जिला टोंक किया गया था जिसके विरूद्ध सारिका सिंघल द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4754/2021 सारिका सिंघल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.11.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित रखा गया।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन जयपुर शहर अथवा जयपुर शहर के नजदीक 8 से 10 किमी दूर किसी भी स्थान पर प्रधानाचार्य पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाहे गए जयपुर शहर अथवा जयपुर शहर से 8 से 10 किमी नजदीक प्रधानाचार्य का कोई भी पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा की राजपत्रित स्तर की अधिकारी हैं और इन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य एवं विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। अपीलार्थी को समीपस्थ जिले टोंक में निकटस्थ स्थान पर पदस्थापित किया गया है, किसी दूरस्थ स्थान पर नहीं। इस प्रकार निकटस्थ जिले में प्रशासनिक आवश्यकता में स्थानान्तरित किये जाने पर भी इच्छित स्थान पर पदस्थापित किये जाने की अपीलार्थी की मांग नियमानुकूल नहीं है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्रीमती सारिका सिंघल द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। श्रीमती सारिका सिंघल को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल स्थानान्तरित स्थान राउमावि लांबा हरिसिंह, टोंक में प्रधानाचार्य पद पर कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

सत्यमेव जयते

13.12.21

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/सारिक सिंघल/4754/2021/309 **दिनांकः** 14.12.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/अजमेर संभाग, जयपुर/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर/टोंक।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सारिक सिंघल, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि लाम्बा हरिसिंह, टोंक को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)